रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 1985/श्रावण 26, 1907
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 1985/SRAVANA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1985

शुद्धि-पत्र-II

सा॰का॰ नि॰ 762:—भारत सरकार के गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 788, तारीख 12 जुलाई, 1984 में जिसे 28 जुलाई, 1984 को भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, पृष्ठ 1911-1912; टिप्पणी 3 में पृष्ठ 1912 की 20वीं लाइन के दूसरे कालम पर "उपनियम (2)" के स्थान पर "उपनियम (1)" पढ़ा जाये।

[संख्या 18011/3/80-स्था. (छुट्टी)]

श्रीमती एस. सुभद्रा, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 को नीचे ब्यौरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है—

अधिसूचना की संख्या और तारीख राजपत्र अधिसूचना की संख्या तथा तारीख का विवरण

1. एफ 16(3)-ई-IV (ए)/71 तारीख 11-9-72 कार्यालय ज्ञा. सं. 3724 तारीख 4-11-1972
2. एफ 4(7)ई-IV (ए)/72 तारीख 30-4-73 का. आ. सं. 1399 तारीख 19-5-73
3. एफ 5(14)ई-IV (ए)/73 तारीख 13-7-73 सा. का. नि. सं. 82 तारीख 4-9-73
4. एफ 14(10)ई-IV (ए)/73 तारीख 11-6-74 उपलब्ध नहीं
5. एफ 5(8)ई-IV (ए)/73 तारीख 19-7-74 सा. का. नि. सं. 818 तारीख 3-8-74
6. एफ. 14(8)ई-IV (ए)/73 तारीख 2-11-74 सा. का. नि. सं. 1242 ता. 23-12-74
7. एफ 16(3)ई-IV (ए)/74 तारीख 20-12-74 सा. का. नि. सं. 1374 तारीख 28-12-1974
8. एफ 16(5)ई-IV (ए)/74 तारीख 11-4-75 सा. का. नि. सं. 526 तारीख 26-4-1975
9. एफ 16(8)ई-IV (ए)/74 तारीख 26-5-75 सा. का. नि. सं. 686 तारीख 7-6-1975
10. एफ 4(1)ई IV (ए) 2/74 तारीख 24-6-75 सा. का. नि. सं. 834 तारीख 12-7-1975
11. एफ 16(5)ई-IV (ए)/74 तारीख 20-9-75 सा. का. नि. सं. 2876 तारीख 27-12-1975

592 GI/85—1.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1985

सा. का. नि. 783.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आकाशवाणी (वर्ग I पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध मददगार (हैल्पर) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है करने का लोप किया गया है, आकाशवाणी में मददगार (हैल्पर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी मददगार (हैल्पर) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

शिथिल करने की शक्ति : जो केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
मददगार (हैल्पर)	512* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" अराजपत्रित अननुसचिवीय	210-4-250-द रो-5-270 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
					टिप्पण : 2. ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
विद्युत और यांत्रिक मशीनों का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण।	आयु : नहीं शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : हां	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	खलासी काडर से ऐसे व्यक्ति की प्रोन्नति जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
1. केन्द्र/कार्यालय का प्रधान—अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इंजीनियर कार्यक्रम कार्यपालक/उपकेन्द्र/कार्यालय की दशा में सहायक इंजीनियर—सहायक 3. समाचार सेवा प्रभाग/बाह्य सेवा प्रभाग की दशा में उप निदेशक—सदस्य 4. केन्द्र/कार्यालय का प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान लिपिक—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 310/16/84-बी (डी)]

जे० डी० भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 17th July, 1985

G.S.R. 783.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in superession of the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Helper except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulaing the method of recruitment to the post of Helper in the All India Radio, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Helper) Recruitment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Helper in All India Radio

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Helper	512* (1985) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted Non-Minisrterial	Rs. 210-4-250-EB-5-270.	Non-Selection	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2:—In respect of post, the appointment to which it made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the employment Exchange is asked to submit the names.

Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period for probation	Method of Recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13	14
Working knowledge of Electrical and Mechanical Machines Desirble: Primary School Standard pass.	Age—No; Educational and other qualifications—Yes	2 years	50% by promotion, 50% by direct rectt.	Promotion from the cadre of Khalasis who have three years regular service in the grade.	1. Head of station office Chairman 2. Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer/ Programme Executive/ Assistant Engineer in case of station/ office—Member 3. Deputy Director in case of News Services Division/External Services Division —Member 4. Administrative Officer/ Head Clerk at the station/office—Member	Not applicable

[No. 310/16/84-B(D)]

J.D. BHATIA, Under Secy.